महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

38वीं बैठक का संशोधित कार्यवृत्त

दिनांक	:	24 नवंबर, 2021 (बुधवार)
समय	:	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

ज्ञान शान्ति मैत्री

विद्या–परिषद की 38वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 24.11.2021 (बुधवार)

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत	3
1.	विद्या–परिषद की 36वीं और 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि	
2.	विद्या–परिषद की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती	4
3.	विद्या–परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती	
4.	नई शिक्षा नीति–2020 : पहल और सर्वोत्तम अभ्यास	
5.	विश्वविद्यालय का अकादमिक अंकेक्षण संपन्न	5
6.	**विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार**	
	1. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 23 वीं बैठक का कार्यवृत्त	
	2. विधि विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त	6
	3. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त	
	4. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त	
	5. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त	7
	6. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
	7. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
7.	विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह तथा स्नातक नामावली एवं मेधा क्रम (Merit Order) तैयार करने की अनुमति	8
8.	डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' को विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम के अनुरूप डी–लिट की मानद उपाधि	

9.	हिंदी और अनुवाद के अध्ययन कार्यक्रमों के प्रसार के लिये ऐसे पाठ्यक्रम चलाये जा रहे ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन	9
10.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	
	1. विदेशी भारतीयों के लिए हिंदी सीखने हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम	10
	2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही उपाधियों का प्रारूप	
	3. अध्यक्ष द्वारा दी गई सुचारू व्यवस्था	
	4. विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव	11

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 38वीं बैठक का संशोधित कार्यवृत्त

स्थान	:	**महादेवी वर्मा सभागार** **विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा**
दिनांक	:	**24 नवंबर, 2021(बुधवार)**
समय	:	**पूर्वान्ह 11:00 बजे**

विद्या–परिषद की 38वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2021 (बुधवार) को पूर्वान्ह 11.00 बजे साहित्य विद्यापीठ के महादेवी सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	अधिष्ठाता : भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, प्रवासन एवं डायस्पोरा विभाग
3.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	प्रतिकुलपति निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र
4.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ कुलानुशासक निदेशक, म.गां.फ्यु.गुरूजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग
5.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ निदेशक, भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र
6.	प्रो. अवधेश कुमार	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभागाध्यक्ष, मराठी, संस्कृत विभाग

7.	प्रो. वृषभ प्रसाद जैन	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग **(ऑनलाइन)**
8.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
9.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
10.	प्रो. फरहद मलिक	प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग
11.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
12.	प्रो. शिरीष पाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
13.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	निदेशक, डॉ. बाबासाहब अंबेडकर, सिदो कान्हू मुर्मु दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र
14.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग
15.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
16.	प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा एवं मनोविज्ञान विभाग
17	प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
18.	प्रो. हरीश अरोड़ा	प्रोफेसर
19.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग **(ऑनलाइन)**
20.	डॉ. रविंद्र तु. बोरकर	विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
21.	डॉ. ओमप्रकाश भारती	विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग
22.	डॉ. सुप्रिया पाठक	विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग
23.	डॉ. जयंत उपाध्याय	विभागाध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग **(ऑनलाइन)**
24.	प्रो. कुमुद शर्मा	बाह्य–विशेषज्ञ
25.	प्रो. राज नारायण शुक्ल	बाह्य–विशेषज्ञ
26.	प्रो. एम. वेंकटेश्वर	बाह्य–विशेषज्ञ
27.	डॉ. रामानुज अस्थाना	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
28.	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
29.	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	एसोशिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
30.	डॉ. अनिर्वाण घोष	सहायक प्रोफेसर, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अ.कें.
31.	श्री शरद जायसवाल	सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग
32.	डॉ. बीर पाल सिंह यादव	सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
33.	डॉ. अख्तर आलम	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
34.	डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
35.	डॉ. अजय कुमार सिंह	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
36.	श्री वैभव उपाध्याय	छात्र प्रतिनिधि
37	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

विद्या–परिषद के सहयोग के लिये अधोलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :

1.	श्री सुशील पखिडे	सहायक कुलसचिव
2.	डॉ. राजेश्वर सिंह	सहायक कुलसचिव
3.	श्री राजेश अरोड़ा	सहायक कुलसचिव
4.	श्री के.के.त्रिपाठी	सहायक कुलसचिव

विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ बैठक प्रारंभ हुई।

नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत

1. डॉ. ओम प्रकाश भारती, एसोशिएट प्रोफेसर का विद्या–परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल दिनांक 22.09.2021 को समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (एफ) के अंतर्गत डॉ. धूपनाथ प्रसाद, एसोशिएट प्रोफेसर को वरिष्ठता क्रम में दिनांक 28.09.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए विद्यापरिषद का सदस्य नामित किया गया है।

2. प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट का विद्या–परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल दिनांक 16.10.2021 को समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) के अंतर्गत प्रो. वागीश शुक्ल, नई दिल्ली को विद्या–परिषद की सहमति के प्रत्याशा में दिनांक 01.11.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए विद्यापरिषद का सदस्य नामित किया गया है।

3. विद्या–परिषद में भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि डॉ. अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी और डॉ. उमा यादव का कार्यकाल दिनांक 30.10.2021 को समाप्त होने के कारण उनके स्थान पर डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति, सहायक प्रोफेसर, हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला एवं डॉ. अजय कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू को दिनांक 01.11.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है।

सदस्यों की नियुक्ति से विद्या–परिषद अवगत हुई, नव नियुक्त सदस्यों का विद्या–परिषद ने स्वागत किया गया और निवर्तमान सदस्यों के प्रति उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

मद संख्या–1

विद्या–परिषद की 36वीं और 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

विद्या–परिषद की दिनांक 07.06.2021 को संपन्न 36वीं बैठक और दिनांक 29.08.2021 को संपन्न 37वीं (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद संख्या–2

विद्या–परिषद की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई : मदवार विवरण इस प्रकार है

मद संख्या 5

पी–एच.डी. अध्यादेश 45/2020 में संशोधन

विद्या–परिषद की दिनांक 07.06.2021 को संपन्न 36वीं बैठक की मद संख्या 5 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में अधिसूचना 04A/प्र.प्र./अध्यादेश/2019–20/2537 दिनांक 24.06.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया।

मद संख्या 9 (4)

ऑनलाइन अध्यापन कार्यक्रम की समीक्षा

विद्या–परिषद की दिनांक 07.06.2021 को संपन्न 36वीं बैठक की मद संख्या 9(4) पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में अधिसूचना 04/परी./2814/म.गां.अं.हिं.वि./21 दिनांक 25.08.2021 के माध्यम से समिति का गठन किया गया है।

निर्णयः विद्या–परिषद ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया।

मद संख्या–3

विद्या–परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई :

विद्या–परिषद की 37वीं बैठक में लिए मदवार निर्णय अनुपालित।

निर्णयः विद्या–परिषद ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया।

मद संख्या–4

नई शिक्षा नीति–2020 : पहल और सर्वोत्तम अभ्यास

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 19–52/2017–सीयू.सीडीएन दिनांक 22.10.2021 के अनुसार सचिव (उच्च शिक्षा) की विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ दिनांक 21.10.2021 को संपन्न बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा हुई एवं कुछ निर्णय लिए गए है। बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम अभ्यास (Best Practices) शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित करने अनुरोध की गई है जो विद्या–परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है:

1. Academic Bank of Credit (ABC)
2. Multiple entry-exit
3. Multidisciplinary /Interdisciplinary Courses
4. National Academic Depository

5. Credit Transfer of SWAYAM courses (online courses)
6. Skill Development Courses
7. Programme/Courses in regional languages
8. Adoption of Apprenticeship/ Internship Embedded degree program Guidelines
9. Adoption of Learning Outcome based Curriculum Framework (LOCF)
10. Seminars/ Workshop/Online Programs/FDP on NEP
11. Publications on NEP
12. Cartelizing quality academic research in all fields through A New NRF
13. Education system rooted in Indian Ethos to contribute transforming Bharat
14. Community Outreach
15. Inclusiveness and social sensitization

निर्णयः विद्या–परिषद ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया।

मद संख्या–5

विश्वविद्यालय का अकादमिक अंकेक्षण

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नई दिल्ली द्वारा मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय का नैक द्वारा मूल्यांकन किया गया था जिसमें विश्वविद्यालय को । ;3ण्06द्ध ग्रेड द्वारा प्रमाणित किया गया था।

दिनांक 01.11.2021 और 02.11.2021 को विश्वविद्यालय का अकादमिक अंकेक्षण प्रो. सरोज शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, प्रो. अरविंद जोशी, प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रो. सुधीर प्रताप सिंह, और प्रो. आशीष श्रीवास्तव, प्रोफेसर, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) द्वारा किया गया।

निर्णय : विद्या–परिषद ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया। अकादमिक अंकेक्षण रिपोर्ट में किये गये सुझावों का विद्या–परिषद ने अवलोकन किया। अकादमिक अंकेक्षण की समीक्षा हेतु प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में, सभी अधिष्ठाता, प्रो. अनिल कुमार राय, प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर, प्रो. हरीश अरोड़ा अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज और प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता की समीक्षा हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–6

1. **संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 23 वीं बैठक का कार्यवृत्त**

विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 12.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : संस्कृति विद्यापीठ की स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त में डॉ. भंदत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र और स्त्री अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल के कार्यवृत्त में से पंचवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बनाए जाने के संबंध में लिए गए निर्णयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सर्वथा सुसंगत बनाने के लिये संबंधित निकायों को प्रस्तावित किया। साथ ही विद्या–परिषद नें अधिष्ठाता को निर्देशित किया कि नई शिक्षा नीति–2020 के प्रावधान के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन मंडल और स्कूल बोर्ड के माध्यम से आगामी विद्या–परिषद की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। शेष निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

2. विधि विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के विधि विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 17.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : विद्या–परिषद द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों का संज्ञान लिया गया, बैठक में हुई चर्चा के उपरांत स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 7वीं बैठक दिनांक 18.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : विद्या–परिषद द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों का संज्ञान लिया गया, बैठक में हुई चर्चा के उपरांत स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 19.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : **विद्या–परिषद द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों का संज्ञान लिया गया, बैठक में हुई चर्चा के उपरांत स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गयी।**

5. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 20वीं बैठक दिनांक 22.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : **विद्या–परिषद द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों का संज्ञान लिया गया, बैठक में हुई चर्चा के उपरांत स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गयी।**

6. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 22.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : **विद्या–परिषद द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों का संज्ञान लिया गया, बैठक में हुई चर्चा के उपरांत स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गयी।**

7. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 22.11.2021 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : **साहित्य विद्यापीठ की स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त में संस्कृत विभाग के अध्ययन मंडल के कार्यवृत्त में से मद संख्या 2 स्नातक कार्यक्रम (NEP) प्रथम वर्ष पाठ्यचर्या का अनुमोदन से संबंधित निर्णय को से पंचवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बनाए जाने के संबंध में लिए गए निर्णयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सर्वथा सुसंगत बनाने के लिये संबंधित निकायों को प्रस्तावित किया। साथ ही विद्या–परिषद नें अधिष्ठाता को निर्देशित किया कि नई शिक्षा नीति–2020 के प्रावधान के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन मंडल और स्कूल बोर्ड के**

माध्यम से आगामी विद्या–परिषद की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। शेष निर्णयों को विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–7

विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह तथा स्नातक नामावली एवं मेधा क्रम (Merit Order) तैयार करने की अनुमति

विश्वविद्यालय के परिनियम–30 के अंतर्गत दीक्षांत समारोह की व्यवस्था एवं अध्यादेश–6 तथा 7 के प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षात समारोह दिनांक 08 जनवरी, 2022 को आयोजित करना प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के लिये विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे स्नातक पाठ्यक्रमों की नामावली तथा मेधा क्रम (Merit Order) तैयार किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे स्नातक पाठ्यक्रमों की नामावली तथा मेधा क्रम (Merit Order) तैयार करने तथा दीक्षांत समारोह के आयोजन का प्रस्ताव विद्या–परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अध्यक्ष ने विद्या–परिषद को अवगत कराया कि दिनांक 08.01.2022 को दीक्षांत समारोह का आयोजन और साथ ही विश्वविद्यालय के 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विद्या–परिषद ने दोनों कार्यक्रमों के आयोजन के लिए शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–8

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' और डॉ. विजय भटकर को विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम के अनुरूप डी–लिट की मानद उपाधि

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के परिनियम–27 (1) में मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है :

> The Executive Council may, on recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the Visitor for the conferment of honorary degrees;
>
> Provided that in case of emergency the Executive Council may on its own motion, make such proposals.

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' एक राजनीतिज्ञ के साथ–साथ उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री तथा मंत्रालय के नाम परिवर्तन के बाद में शिक्षा मंत्री के रूप में हिंदी को उच्च स्तर पर पहुँचाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को मूर्त रूप देने में और कार्यान्वयन में डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की महनीय भूमिका रही है।

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' मौलिक रूप से साहित्यिक विधा के व्यक्ति हैं। अब तक हिन्दी साहित्य की तमाम विधाओं (काव्य एवं कथा साहित्य आदि) में प्रकाशित उनकी कृतियों ने उन्हें हिन्दी साहित्य में सम्मानजनक स्थान दिलाया है।

यह डॉ. 'निशंक' के साहित्य की प्रासंगिकता और मौलिकता है कि अब तक उनके साहित्य को विश्व की कई भाषाओं (जर्मन, अंग्रेजी, फ्रैंच, तेलगु, मलयालम, मराठी आदि) में अनूदित किया जा चुका है। इसके अलावा उनके साहित्य को देश-विदेश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। उनके साहित्य पर अब तक कई शोधार्थी शोध कार्य कर चुके हैं तथा कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शोध कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त डॉ. निशंक वर्तमान लोकसभा के सदस्य भी हैं।

डॉ. विजय भटकर पद्मभूषण से सम्मानित भारत के श्रेष्ठतम संगणक वैज्ञानिक है। भारत के प्रथम सूपर कंम्प्यूटर परम 10000 के प्रारूपकार के रूप में वे सबको ज्ञात है। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं के संशोधन से जुड़े अनुसंधानों में अग्रगण्य भूमिका रखते है, उच्चतम तकनीक का भारत के ग्राम विकास में किस प्रकार अनुप्रयोग हो सके इसके लिये उन्नत भारत अभियान के भी प्रेरक है। विज्ञान और अध्यात्म के संश्लेषण पूर्वक नये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण के लिए यत्न करने वाले दार्शनिक भी है।

वर्तमान में डॉ. विजय भटकर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली (IIT, New Delhi) के शासी मण्डल के अध्यक्ष हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' और डॉ. विजय भटकर को विश्वविद्यालय की मानद उपाधि डी-लिट. प्रदान करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या-परिषद ने डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' और डॉ. विजय भटकर को विश्वविद्यालय परिनियम में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय की मानद उपाधि डी-लिट. प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या-9

हिंदी और अनुवाद के अध्ययन कार्यक्रमों के प्रसार के लिये ऐसे पाठ्यक्रम चलाये जा रहे ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन

हिंदी और अनुवाद के अध्ययन कार्यक्रमों के प्रसार के लिये जिन विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी और अनुवाद के शैक्षणिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किये जाने का प्रस्ताव विद्या-परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अध्यक्ष ने विद्या-परिषद को अवगत कराया कि देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अपनाए जा रहे सर्वोत्तम अभ्यास को अपने विश्वविद्यालय में लागू करने के उद्देश्य से इन संस्थानों के प्रमुखों से पत्राचार किया गया है। इनमें से कुछ संस्थानों से सकारात्मक जवाब प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में इन संस्थानों से समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव है।

विद्या-परिषद ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–10

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. विदेशी भारतीयों के लिए हिंदी सीखने हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम

अध्यक्ष ने विद्या–परिषद को अवगत कराया कि दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों में हिंदी को जिवित रखने के लिए विधिमान्य सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के प्रमाणीकरण के लिए दूर शिक्षा के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। विद्या–परिशद में इस पहल की सराहना करते हुए स्वीकृति प्रदान की।

2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही उपाधियों का प्रारूप

विश्वविद्यालय प्रदान की जा रही उपाधियों का प्रारूप अध्यक्ष की अनुमति से विद्या–परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरांत उपाधि के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में एकरूपता लाने के विचार से संशोधन करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया :

1. प्रो. वृषभ प्रसाद जैन, प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
2. प्रो. एम. वेंकटेश्वर, सदस्य, विद्या–परिषद
3. प्रो. कृपाशंकर चौबे, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
4. श्री के. के. त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे।

   समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

3. अध्यक्ष ने सुचारू व्यवस्था हेतु निम्नांकित व्यवस्था दी है :

1. पी–एच.डी. सबमिशन के दौरान लिखे जा रहे परिशिष्ट (Abstract) को हिंदी में ही लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

2. किसी भी अध्यापक को शोध निदेशक नामित करने से पहले वे संबंधित विषय का विशेषज्ञ है अध्ययन मंडल में यह सुनिश्चित किया जाए।

3. सभी विभागों के अध्ययन मंडल में दूर शिक्षा निदेशालय से संबंधित विषय का एक अध्यापक सदस्य होगा जिसे निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा नामित किया जायेगा।

4. विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव

विद्या–परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधि श्री वैभव उपाध्याय और सुश्री हेमा ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए निम्नाकिंत सुझाव दिये गये है :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की संपूर्ण प्रक्रिया से विद्यार्थियों को अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक परिचयात्मक कार्यशाला / गोष्ठी आयोजित कराई जाए।
2. विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय विभिन्न शोध पत्रिका (जर्नल) की ऑनलाइन एक्सेस सुविधा प्रदान की जाए, जिससे शोध कार्य की गुणवत्ता बढाई जा सके।
3. छात्र प्रतिनिधि से प्राप्त हुए वे सुझाव जो विद्या–परिशद के एजेंडे में शामिल किया गया हो उस बिंदु पर होने वाली प्रगति से छात्र प्रतिनिधि को भी समय–समय पर अवगत कराया जाए।

निर्णय : विद्या–परिषद ने उपर्युक्त सुझावों को स्वीकृति प्रदान की।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई

क़ादर नवाज़ 24/11/21

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा